दिनांक 01.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 01/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 सर्तकता अधिष्ठान, कानपुर सेक्टर (विजिलेन्स) के प्रस्तावित भवन का वर्चुअल शिलान्यास किया गया

माननीय मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 के निर्देशन में सतर्कता अधिष्ठान को विभिन्न जनपदों में 09 सेक्टर कार्यालयों हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, कानपुर सेक्टर (विजिलेन्स) के कार्यालय भवन के लिए ग्राम बगदौधी कछार, परगही कछार परगना व तहसील सदर जनपद कानपुर नगर में आवंटित है।

उक्त प्रस्तावित भवन का वर्चुअल शिलान्यास आज दिनांकः 01.11.2025 को **श्री राजीव कृष्णा,** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 द्वारा किया गया।

कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि का क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर है। कार्यालय भवन का निर्माण बहुमंजिला किया जायेगा, जिसमें अधिकारियों के कार्यालय, आगन्तुक कक्ष, सतर्कता अधिष्ठान थाना, गार्द रूम, गोपनीय कार्यालय, प्रधान लिपिक कार्यालय, आंकिक कार्यालय व मीटिंग हाल आदि का निर्माण किया जायेगा।

Galaxy S23 Ultra

दिनांक 01.11.2025

प्रेस विज्ञप्ति 02/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा जनपद मेरठ में आयोजित साइबर जागरूकता कार्यशाला का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया शुभारम्भ

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 01.11.2025 को जनपद मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चन्द्र प्रेक्षाग्रह में आयोजित साइबर जागरूकता कार्यशाला का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन श्री भानु भास्कर, पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र श्री कलानिधि नैथानी, प्रभारी कुलपति श्री हरेकृष्ण जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ श्री विपिन टाडा एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मिशनशक्ति के प्रभारी प्रोफेसर बिन्दु शर्मा जी उपस्थित रहे। कार्यशाला में व्यापारी संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के स्नातक/परास्नातक छात्राएं, गार्गी कालेज की छात्राएं, केएल इंटरनेशनल की छात्राए, बी0डी0एस0 स्कूल की छात्राएं व अन्य स्कूलों/कॉलेजों की छात्र एवं छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपने सम्बोधन में कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों का पुलिस की तरफ से स्वागत करते हुये कहा कि मेरे द्वारा प्रदेश स्तर पर जिन दस प्राथमिकताओं को चिह्नित किया गया था, उसमे साइबर क्राइम एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। वर्तमान परिदृश्य में समाज का ऐसा कोई भी वर्ग शायद ही बचा हो जो साइबर क्राइम से प्रभावित न हुआ हो। हमारे स्कूली बच्चे **साइबर बुलिंग** का शिकार होते हैं, महिलाएं व बालिकाए **साइबर स्टाकिंग** एवं अन्य महिला केन्द्रित साइबर अपराध का शिकार होती है। डिजिटल अरेस्ट एक उभरता हुआ साइबर अपराध है, जिससे समाज के विभिन्न सभ्रान्त वर्गों के नागरिक शिकार हुए है तथा उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई इसमे गवां दी है। साइबर क्राइम से बचाव के लिए मजबूत पासवर्ड और अपडेट सॉफ्टवेयर, अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट करना और सरकारी/संगठन की स्ट्रेटेजी जैसे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और कानून लागू करने वाली ट्रेनिंग जैसे तरीकों को मिलाकर निपटा जाना चाहिए।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कहा कि अधिकांश लोग 03 कारणों **1–लालच 2–भय 3–लापरवाही** से आर्थिक अपराध के शिकार हो रहे है। आर्थिक अपराध के पीड़ित लोगों को 03 उपाय तत्काल किये जाने चाहिये **1–1930 डायल करना 2–गोल्डन टाइम में रिपोर्ट करना 3–सही तथ्यों को भरना**। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा बच्चों को ऑन लाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव के बारे में बताते हुये यह भी कहा कि आज के युग में सोशल मीडिया नशे की लत की तरह युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, इसके लिये हमे और अधिक सतर्क एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है। उ0प्र0 पुलिस द्वारा थानों के हेल्प डेस्क को व्यवसायिक रूप से दक्ष बनाये जाने का प्रयास चल रहा है, जिसके फलस्वरूप उ0प्र0 में पिछले 02 महीने में साइबर अपराध से सम्बन्धित 24 प्रतिशत धनराशि फ्रीज करायी गयी है।

दिनांक 01.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 03/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्कर करने वाले गिरोह का 01 तस्कर 575 पेटी अंग्रेजी शराब (कीमत लगभग 75 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 01—11—2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्कर करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को 575 पेटी अंग्रेजी शराब (कीमत लगभग 75 लाख रूपये) के साथ जनपद—लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1— विश्ववेन्द्र पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम व पोस्ट चिमनी थाना बेरी जनपद झज्जर हरियाणा।

बरामदगीः—

1— 575 पेटी अलग—अलग ब्राण्ड की अंग्रेजी शराब (कीमत लगभग 75 लाख रूपये)

2— 01 अदद कण्टेनर ट्रक यूपी 17 बीएम 3466 वास्तविक नं0 एचआर 69 बी 7733

3— 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः—

ओमेक्स कट कल्ली पश्चिम, किसान पथ, थाना क्षेत्र पीजीआई, जनपद लखनऊ दिनांक 01—11—2025

अवैध शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के उ0प्र0 में सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री विमल कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

इसी क्रम में निरीक्षक श्री महाबीर सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक दीपक सिंह, निरीक्षक रिजवान, मु0आ0 समषेर सिंह, भुपेन्द्र सिंह, आरक्षी अंकित सिंह, अंकित पाण्डेय की एक टीम जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान विश्वस्त सूत्रो ज्ञात हुआ कि एक कण्टेनर ट्रक नंबर– यूपी 17 बीएम 3466 में यूरिया खाद की बोरिया के बीच में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब छिपाकर रखा गया है, जो किसान पथ होते हुए बिहार जाने वाला है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर ओमेक्स कट कल्ली पश्चिम, किसान पथ, थाना क्षेत्र पीजीआई, जनपद लखनऊ से उक्त कण्टेनर ट्रक से 575 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि सोनू राठी, गुरनीत सिंह गोगिया एवं अतुल का एक संगठित गिरोह है, जो हरियाणा एवं पंजाब राज्य से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बिहार राज्य में सप्लाई कराते है। उक्त कन्टेनर ट्रक में गुप्त रूप से कैबिटी बनायी गयी थी, जिसके एक हिस्से में चण्डीगढ़ से 210 बोरी खाद लोड किया था तथा दूसरे हिस्से में गिरोह के लोगो द्वारा चण्डीगढ़ से ही अवैध अंग्रेजी शराब लोड कराया गया था, जिसे दरभंगा (बिहार) में पहॅुचाना था। दरभंगा पहॅुचने पर सोनू राठी, गुरनीत सिंह गोगिया एवं अतुल आदि द्वारा बताये गये आदमी को उक्त शराब देना था। इस काम के लिए इसे प्रति चक्कर रू0 01 लाख मिलता है। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त अवैध शराब की खपत बिहार राज्य में हो रहे चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व थाना पीजीआई, जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 558/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी0एन0एस0 व 60/63/72 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

जनपद बस्ती/थाना छावनी

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 01.11.2025 को थाना छावनी, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अर्जुन बंधे पर पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित

अभियुक्त सद्दाम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना छावनी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छावनी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सद्दाम निवासी बभनगांवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

———